न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 048/2025
अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

बनाम

1. रेखारानी पत्नी राकेश कुमार जाति अग्रवाली निवासी 3 एच 8 जवाहरनगर श्रीगंगानगर

उपस्थित– **श्री विशाल मक्कड/प्रतिवादी स्वयं (प्रतिवादी संख्या 01)**
राज पैरोकार (वादी)

दिनांक:21 नवम्बर, 2025

–:निर्णय:–

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नं0 8/9/0.190, 13/0.164 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 0.354 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर वाणिज्यक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ अकृषि कार्य बिना स्वीकृति संपरिवर्तन करवाये किया जा रहा है। अतः रकबा राज हित में सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी रेखारानी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मुताबिक रिकॉर्ड इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि इस मद में वर्णित आराजी कृषि भूमि के साथ–साथ अप्रार्थी के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नं0 8/9/0.190, 13/0.164 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 0.354 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारी भूमि चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नं0 8/9/0.190, 13/0.164 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 0.354 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि का अकृषि भूमि के रूप में धर्मकांटा लगाने हेतु उपयोग किया जाना है। प्रार्थी के द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि को कृषि से अन्यत्र रूपान्तरित करवाने हेतू आवेदन पत्र समस्त विधिक औपचारिकताएँ हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.11.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन होने से प्रार्थी की भूमि का रूपान्तरण नहीं हो पा रहा है जिसके लिए समुचित आदेश पारित किये जाने आवश्यक है। आराजी काबिल काश्त होने के तथ्य से इन्कारी नहीं है। जहां तक कृषि कार्य हेतु दिये जाने के तथ्य अंकित किये गये है, कानूनी तथ्यों से परे दर्ज हुए होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। कृषि प्रयोजन [illegible] का उपयोग कृषि हेतू ही किया जा रहा है एवं कृषि भूमि [illegible] उपयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने के सम्बन्ध में भी कानूनी प्रावधान राज्य [illegible] द्वारा निर्मित किये हुए है जिनकी पालना की जाकर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जा सकता है एवं वर्तमान में प्रार्थी की भूमि को रूपान्तरण करवाने की [illegible]वाही विचाराधीन है जो मौजूदा प्रकरण के विचाराधीन होने के कारण रूपान्तरण की कार्यवाही रूकी हुई है वर्तमान में प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में नहीं लिया जा रहा है वरन् रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि को रूपान्तरित करवाने के लिए कार्यवाही प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान प्रकरण के कारण रुकी हुई है। प्रकरण हाजा में कोई राज हित निहित नहीं है वरन् वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जोकि प्रकरण हाजा के अन्तर्गत खातेदार कृषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो गया है। प्रार्थी यहां यह भी अंकित करना आवश्यक समझता है कि प्रार्थी विधि में आस्था रखने वाला एवं पालना करने वाले पक्षकार है जो अपनी भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने हतु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के तहत अपनी खातेदारी का भू रूपान्तरण करवाने के लिए कार्यवाही कर रहा है एवं विधिसम्मत प्राप्त कर ही भूमि का उपयोग करेगा इसलिये भी प्रार्थना पत्र राजपक्ष निरस्त किये जाने योग्य है। वादाधीन कृषि भूमि तथा अन्य के रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है इसलिये किसी भी प्रकार से सिवाए चक घोषित नहीं किया जा सकता है एवं यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि धारा 177 आर. टी. एक्ट की मंशा किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी कृषि भूमि से महरूम करने की नहीं है। मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है एवं ना हीं धारा 177 आर. टी. एक्ट के प्रावधान लागू होते है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट का सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं सम्बन्धित अधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जावें कि अविलम्ब प्रार्थी की भू रूपान्तरण की पत्रावली को निस्तारित किया जाकर भूमि का रूपान्तरण किया जावे।

स्टेट जरिये तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू–रूपान्तरण करवाये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होता है तब तक संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थी रेखारानी के विरूद्ध इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.11.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर